

2009

**राजस्थान सरकार**  
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**  
**(ग्रुप-3, नरेगा)**

सं. गा. एफ 4(13)आरडी/नरेगा/हरित राज./2009-10/पार्ट-II

जयपुर, दिनांक

- जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना  
समस्त राजस्थान।


3 | AUG 2009

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में हरित राजस्थान कार्यक्रम के तहत प्राइवेट नर्सरी से पौधे नहीं खरीदने बाबत।

माधेवरा,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मानसून विफलता उपरान्त यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में हरित राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 26.08.09 के उपरान्त प्राइवेट नर्सरी से कोई पौधे क्रय नहीं किये जावे, और इस संबंध में कोई आदेश भी जारी नहीं किया जावे।

भवदीय,

  
(राजेन्द्र भाणावत)  
आयुक्त, ईजीएस